

प्ररूप 21 ग

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा।

35-हरिद्वार ग्रामीण विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से उत्तराखण्ड राज्य की विधान सभा के लिए निर्वाचन।

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि-

श्री/श्रीमती अनुपमा रावत, 22/1 रविन्द्र नाथ टैगोर मार्ग-2, निकट पासपोर्ट ऑफिस, न्यू कैण्ट रोड, हाथी बड़कला, देहरादून, उत्तराखण्ड जो इंडियन नेशनल काँग्रेस (मान्यताप्राप्त/रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किये गए/की गई।

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए/गई हैं।

स्थान- हरिद्वार।

तारीख- 10 मार्च, 2022


(पूरण सिंह-सणा)

रिटर्निंग आफिसर, 10/3/2022

35-हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र,

जनपद हरिद्वार।

रिटर्निंग आफिसर

35-हरिद्वार ग्रामीण विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र

FORM-21C

(See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951.

Election to the Legislative Assembly of **Uttarakhand** State from **35-Haridwar Rural** Assembly constituency .

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the people Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961. I declare that-


Mrs. Anupama Rawat, 22/1 22/1, Ravindra Nath Tagore Marg-2, Near Passport Office, New Cantt Road, Hathi Barkala, Dehradun, Uttarakhand [sponsored by Indian National Congress (name of the recognised/registered political party)] has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place-Haridwar.

Date- 10th of March, 2022


(Puran Singh Rana)
Returning Officer,

35-Haridwar Rural Assembly Costituency,
District Haridwar.


रिटर्निंग ऑफिसर
35-हरिद्वार ग्रामीण विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र